



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 193/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 193/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

किरणपाल पुत्र बाबूराम निवासी निरोजपुर चीरघर रोड कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0-193/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0- 882/21 धारा 307/34 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0-926/21 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0-927/21 धारा 25/27 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 508 मंजीत कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-का0 60 सन्दीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

5-का0 25 राजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



**प्रेस नोट**

**थाना कोतवाली बागपत**

**दिनांक 02-03-2023**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### **कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### **गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-**

जगपाल पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री अमित चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 81 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 02-03-2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 47/23 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.03.23 को थाना बिनौली पर वादी श्री महीपाल पुत्र भोर निवासी गाँव फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.महक सिंह पुत्र सुबे सिंह व 2.सेविन उर्फ मुख्तियार सिंह पुत्र महक सिंह निवासीगण गांव फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 47/23 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 47/23 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-महक सिंह पुत्र सुबे सिंह निवासी गांव फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-सेविन उर्फ मुख्तियार सिंह पुत्र महक सिंह निवासी गांव फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 47/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 25/2020 धारा 452/323/307/504/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री सतीशचन्द्र गंगवार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का0 343 पुरुषोत्तम थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 02-03-2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 45/23 धारा 307/504/506 भादवि व धारा 03/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद ।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28-02-2023 को थाना रमाला पर वादी महक सिंह पुत्र बीरबल निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अनुज पुत्र चन्द्रपाल निवासी जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर



फायर कर दिया जिससे वादी बाल बाल बच गया तथा गोली पास में खड़े अभियुक्त के पिता चन्द्रपाल पुत्र बीरबल के पैर में लग गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 45/23 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त में 03/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई है।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 45/23 धारा 307/504/506 भादवि व धारा 03/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 खोखा कारतूस ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज पुत्र चन्द्रपाल निवासी जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अमर सिंह थाना रमाला ।
- 2- है0 का0 376 राजीव कुमार थाना रमाला ।
- 3 - का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला ।
- 4 - का0 1061 अनुराग थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत      दिनांक 02/03/2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 58 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 58 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुए है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र सिंह पुत्र नफेसिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 58 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक अमरसिंह बोनाल आबकारी विभाग बागपत ।

- 2.उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत ।
- 2.का0 अरविन्द्र कुमार आबकारी विभाग बागपत ।
3. का0 वैभव कुमार आबकारी विभाग बागपत ।
- 4.का0 दिनेश सोनी आबकारी विभाग बागपत ।
5. है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने अधिक आवाज में डीजे बजाने वाले 01 व्यक्ति को हिरासत में लिया ।

### संक्षिप्त विवरण-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा ग्राम गौरीपुर में अधिक आवाज में डीजे बजाने वाले व्यक्ति कपिल को हिरासत में लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### हिरासत में लिये व्यक्ति का नाम व पता-

कपिल पुत्र ब्रह्मसिंह निवासी गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कैलाश नाथ थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0 का0 मन्जीत सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 169 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनाँक 02.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1172/22 धारा 294/354क/323/504  
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1172/22 धारा 294/354क/323/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

सुनील पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना बडौत ।

2-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।





प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 02-03-2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1221/21 धारा 420/467/468/471/506 भादवि से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.12.23 को थाना बडौत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सुरेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद, 2.उमर मौहम्मद उर्फ लाल्ला तोमर पुत्र जमशेद निवासी गुराना रोड़ बडौत थाना बडौत, 3.जगपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी शाहपुर बडौली थाना बडौत



जनपद बागपत ने उसको 09 लाख रूपये में दुकान दी तथा बाद में अपनी दुकान बताकर दुकान खाली करने की धमकी दी, दुकान खाली ना करने पर दुकान का ताला तोड़कर दुकान का सामान गायब कर दिया तथा उसके साथ व उसके पति के साथ धोखाधड़ी करके रूपये हडप लिये । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1221/21 धारा 457/380/506/420 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 380/457 भादवि का विलोपन कर धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1221/21 धारा 420/467/468/471/506 भादवि से सम्बन्धित एक

वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

उमर मौहम्मद उर्फ लाल्ला तोमर पुत्र जमशेद निवासी गुराना रोड़ बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 रजत कुमार थाना बडौत।

2- का0 1043 सुनील थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक -02.03.2023

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 50/23 धारा 452/323/506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 01.03.23 को थाना छपरौली पर वादी जवाहर सिंह पुत्र दयानन्द निवासी ककौर खुर्द थाना छपरौली ने सूचना दी कि मैनपाल के भांजे द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पुत्री के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 50/23 धारा 452/323/506



भादवि पंजीकृत किया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 50/23 धारा 452/323/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० उदयवीर सिंह थाना छपरौली।

2-है०का० 411 नीटू सिंह थाना छपरौली।